



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर लूट के दौरान जानबूझ कर गम्भीर चोट पहुंचाने वाले अभियुक्त को 09 वर्ष का कारावास व 15,000/- रु० के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जलालपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 75/16 धारा-394,307,411 भा०द०सं० व 7सीएलए एक्ट व 2(बी)/14डीए एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय मा० न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राहुल सिंह पुत्र कमल सिंह नि० भेडीडाडा थाना जलालपुर, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 09 वर्ष के कारावास व ₹ 15,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



विशेष लोक अभियोजक
मणिकर्ण शुक्ला



विवेचक-
उ०नि० रोशन लाल
सरोज



पैरोकार- थाना जलालपुर
हे०का० मनोज कुमार
यादव